[illegible]यालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :–5 / 2021

उनवान

1. रामदयाल पुत्र पन्ना जाति बैरवा (चमार) निवासी ग्राम मोतीपुरा

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री रमेश सिंह रावत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 31.5.22

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की आवंटनशुदा खातेदारी आराजी ग्राम बुबानिया में स्थित है जिसका आधार जमाबंदी संवत् 2069–72 के अनुसार निम्न प्रकार है:–

खाता नम्बर	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
478 / 497	2864	0.62	बारानी–3

वादग्रस्त आराजियात के आधार जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 व इसके पूर्व वर्किंग खसरा नम्बर 2783 जो कि वर्किंग खाता नम्बर 666 / 551 संवत् 2041–44 में आवंटन दिनांक 16.12.1975 में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम पन्ना से वर्किंग व उसके पश्चात बनी आधार जमाबन्दी संवत् 2069–72 में बन्ना राजस्व अधिकारियों की गलती से दर्ज कर दिया गया। वादग्रस्त आराजियात आवंटनशुदा कृषि भूमि है जो दिनांक 16.12.1975 को उप जिलाधिकारी अजमेर ने बुबानिया में आवंटन की थी। जिसके खसरा नम्बर 2268 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा अलॉट हुई। वादग्रस्त आराजियात नामान्तकरण संख्या 41 दिनांक 2.6.1995 से प्राप्त हुई है। जिसके पश्चात हाल रेकॉर्ड में भी प्रार्थी खातेदार ही दर्ज है। परन्तु हाल रेकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम बन्ना दर्ज है। अतः बन्ना के स्थान पर पन्ना अंकन किया जाने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में जाहिर किया है कि हाल खसरा नम्बर 286[illegible] 0.62 व वर्किंग खसरा नम्बर 2783 रकवा 03–16–00 है। आवंटन आदेश दिनांक [illegible] में [illegible] का नाम रामदयाल पुत्र पन्ना जाति चमार निवासी मोतीपुरा दर्ज है। वर्किंग जमाबन्दी खाता संख्या [illegible] खसरा [illegible] 2783 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:37:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

याल वल्द बन्ना खातेदार दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2069–72 खाता नम्बर 478 ख0 नं0 2864 बा 0.62 पर रामदयाल पुत्र बन्ना जाति बैरवा खातेदार दर्ज है।

अधिवता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवंटन आदेश, मिलान क्षेत्रफल, वर्किंग एवं हाल जमाबन्दी दस्तावेज प्रस्तुत किये।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं राज0 पेरोकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा राजकीय अनभिधृत भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 16.12.1975 पेश किया गया। आवंटन आदेश में आवंटी का नाम रामदयाल पुत्र पन्ना जाति चमार निवासी मोतीपुरा अंकित है। जिसके खसरा नम्बर खसरा नम्बर 2783 रकबा 03–16–00 है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वर्किंग जमाबन्दी सम्वत 2041–44 में रामदयाल वल्द बन्ना कौम चमार अंकित है। तथा हाल जमाबन्दी संवत् 2069–72 में रामदयाल पुत्र बन्ना जाति बेरवा अंकित है। राज0 पेरोकार के द्वारा भी अपने जवाब में किसी प्रकार का कोई खण्डन नहीं किया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी को भूमि आवंटन आदेश में रामदयाल पुत्र पन्ना अंकित दर्ज था किन्तु वर्किंग जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम बन्ना दर्ज कर दिया गया एवं वर्किंग जमाबन्दी अनुसार हाल जमाबन्दी में भी प्रार्थी के पिता का नाम बन्ना दर्ज किया गया। आवंटन आदेश की पालना में वर्किंग जमाबन्दी में रामदयाल पुत्र पन्ना दर्ज करना था तथा बाद की जमाबन्दी में भी प्रार्थी के पिता का नाम त्रुटिपूर्ण अंकित कर दिया जो दुरूस्ती योग्य है। उक्त त्रुटि सदभाविक है जिसके दुरूस्त करने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा।

अतः ग्राम बुबानिया के खाता संख्या 478/497 खसरा नम्बर 2864 रकबा 0.62 हैक्टर की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर रामदयाल पुत्र बन्ना के स्थान पर रामदयाल पुत्र पन्ना अंकित किया जावे। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 31.5.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:37:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद